

अनुदान संख्या 21 - रक्षा पेंशन
GRANT No. 21- DEFENCE PENSIONS

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित -	Charged-			
मूल	Original	25,00		
		54,00	82,54	+28,54
पूरक	Supplementary	29,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत -	Voted-	33999,75,00	37568,56,46	+3568,81,46
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			29,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के प्रभारित अंश में, यद्यपि ₹29.00 लाख का पूरक विनियोग मार्च, 2012 में प्राप्त किया गया था, व्यय स्वीकृत विनियोग से ₹28.54 लाख (वास्तविक अधिक व्यय ₹28,54,467 था) अधिक हो गया। इस अधिक व्यय को संसद द्वारा अनुदान की अधिक मांगों को स्वीकृत करवाकर विनियमित करने की आवश्यकता होती है।

1. In the *charged* portion of the grant, although supplementary *appropriation* of ₹29.00 lakhs was obtained in March 2012, the expenditure exceeded the sanctioned *appropriation* by ₹28.54 lakhs (actual excess was ₹28,54,467). **The excess requires regularization by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

अधिक व्यय/बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुआ/हुई:-

Excess/savings occurred under the following major head:-

				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2071"	Major Head "2071"			
पेंशन तथा अन्य	Pensions and other			
सेवानिवृत्ति हितलाभ	Retirement Benefits			
मू.	O.	25.00		
		54.00	82.54	+28.54
पू.	S.	29.00		

(I) “रक्षा -सेना” के अंतर्गत अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ :-

(का) “पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ” - ₹29.60 लाख का अधिक व्यय (₹20.50 लाख के पूरक विनियोग सहित ₹40.50 लाख के कुल स्वीकृत विनियोग की तुलना में) न्यायालय के निर्णयों को लागू किए जाने के कारण हुआ।

(खा) “छुट्टी नकदीकरण” - ₹3.94 लाख का अधिक व्यय (₹8.50 लाख के पूरक विनियोग की तुलना में) सशस्त्र सेना अधिकरण द्वारा दिए गए आदेशों को कार्यान्वित किए जाने के कारण हुआ।

2. उपर्युक्त अधिक व्यय बचत द्वारा निम्नानुसार आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गया:-

(I) ₹5.00 लाख का विनियोग दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

3. अनुदान के स्वीकृत अंश में, व्यय स्वीकृत प्रावधान से ₹356881.46 लाख अधिक हो गया (वास्तविक अधिक व्यय ₹3568,81,46,182 था)। इस अधिक व्यय को संसद द्वारा अनुदान की अधिक मांगों को स्वीकृत करवाकर विनियमित किए जाने की आवश्यकता होती है।

अधिक व्यय/बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुआ/हुई:-

(I) Under “Defence - Army” - excess occurred under the following heads:-

(A) “Pension and other Retirement Benefits”- excess of ₹29.60 lakhs (against the total sanctioned appropriation of ₹40.50 lakhs including supplementary appropriation of ₹20.50 lakhs) was due to implementation of court judgements.

(B) “Leave Encashment” - excess of ₹3.94 lakhs (against the supplementary appropriation of ₹8.50 lakhs) was due to implementation of orders awarded by Armed Forces Tribunal.

2. The above excess was partly offset by savings as under:-

(I) Appropriation of ₹5.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

3. In the voted portion of the grant, the expenditure exceeded the sanctioned provision by ₹356881.46 lakhs (actual excess was ₹3568,81,46,182). **The excess requires regularization by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

Excess/savings occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
3399946.00	3756856.46	+356910.46

शीर्ष	Head
मुख्य शीर्ष “2071”	Major Head “2071”
पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Pensions and other Retirement Benefits
मू.	O. 3399975.00
पु.	R. -29.00

(I) “रक्षा” के अंतर्गत अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

(का) “सेना - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ” - ₹328011.34 लाख का अधिक व्यय (₹2964933.77 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित आश्वासित करियर प्रोन्नति स्कीम, स्थानीय कार्यमुक्ति, निर्गम पूर्व मामले, मृत्यु संबंधी मामले ज्यादा संख्या में प्राप्त होने और बैंकों से लंबित पेंशन स्क्रालों के कारण हुआ

(खा) “नौसेना” -

(क) “पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ” - ₹8493.05 लाख का अधिक व्यय (₹96480.76 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बैंकों से लंबित पेंशन स्क्राल प्राप्त होने के कारण हुआ ।

(ख) “छुट्टी नकदीकरण” - ₹4470.06 लाख का अधिक व्यय (₹9230.79 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ, और

(गा) “वायु सेना” -

(क) “छुट्टी नकदीकरण” - ₹4337.07 लाख का अधिक व्यय (₹15294.85 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय उन मामलों में जहां सेवानिवृत्ति के समय अर्जित अवकाश कम पड़ रहा था वहां अर्धवेतन छुट्टी नकदीकरण दिए जाने और सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों के खाते में ज्यादा अर्जित अवकाश शेष होने के कारण हुआ ।

(ख) “पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ” - ₹12902.72 लाख का अधिक व्यय (₹205302.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बैंकों से लंबित पेंशन स्क्राल प्राप्त होने के कारण हुआ ।

4. उपर्युक्त अधिक व्यय निम्नानुसार बचतों द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गया:-

(I) ₹1.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा ।

(II) “रक्षा-सेना” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(I) Under “Defence” - excess occurred under the following heads:-

(A) “Army - Pension and other Retirement Benefits”- excess of ₹328011.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2964933.77 lakhs) was due to receipt of more cases of modified assured career progression scheme, local discharge, pre release cases, death cases and pending pension scrolls from banks.

(B) “Navy”-

(a) “Pension and Other Retirement Benefits” - excess of ₹8493.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹96480.76 lakhs) was due to receipt of pending pension scrolls from banks.

(b) “Leave Encashment” - excess of ₹4470.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9230.79 lakhs); and

(C) “Air Force” -

(a) “Leave Encashment” – excess of ₹4337.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15294.85 lakhs).

Excess under the above two heads was due to half pay leave encashment at the time of retirement where earned leave was falling short and more balances of earned leave at credit of retirees.

(b) “Pension and Other Retirement Benefits” - excess of ₹12902.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹205302.60 lakhs) was due to receipt of pending pension scrolls from banks.

4. The above excess was partly offset by savings as under:-

(I) Provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilised under one head.

(II) Under “Defence - Army”- savings occurred under the following heads:-

(का) “पुरस्कार” - ₹1008.24 लाख की बचत (₹1308.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पदकों/नकद पुरस्कारों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(A) “Rewards” – saving of ₹1008.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1308.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards medals/cash awards.

(खा) “छुट्टी नकदीकरण” - ₹324.93 लाख की बचत (₹107419.23 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के खाते में अर्जित अवकाश कम संख्या में होने के कारण हुई।

(B) “Leave Encashment” - saving of ₹324.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹107419.23) was due to less number of earned leave at credit of retirees.
